Flag - A

कार्य–योजना

(1, अप्रैल 2024 से 31, मार्च 2025)

भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय सुनिश्चित किया गया है। नागरिकों को अपने अधिकारों के समुचित ज्ञान न होने, आर्थिक संसाधनों के अभाव एवं अन्य विपरीत परिस्थितियों के कारण समाज का एक बड़ा वर्ग न्याय प्राप्त करने से वंचित रह जाता हैं।

कार्ययोजना का उद्देश्य समाज के पिछड़े एवं वंचित लोगों को नालसा, सालसा एवं शासन की योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्रदान करना, पर्यावरण संरक्षित करना एवं बढ़ावा देना तथा विधिक अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए उनके अधिकारों को प्रवर्तित कराना और मौलिक कर्तव्य के पालन हेतु जनसामान्य को प्रेरित करना आदि है ।

विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति के विकास एवं संवर्धन पर केन्द्रित कार्ययोजना

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या 10,42,81,034 पाई गयी थी, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है। भारत के जनजातिय समुहों में कुछ जनजातियां अपनी अत्यधिक दुर्बलता के कारण विशेष रूप से अति संवेदनशील (Particularly Vulnerable Trible Groups- PVTGs) की श्रेणी में रखी गयी है। जनजातियों का श्रेणीकरण वन आश्रित आजीविका, कृषि पूर्व जीवन स्तर, स्थिर एवं घटती जनसंख्या, निम्न साक्षरता दर तथा जीविका आधारित अर्थव्यवस्था के आधार पर किया गया है, जिनकी संख्या वर्तमान समय में 75 है।

मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 153.16 लाख (जनगणना 2011 के अनुसार) जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 21.10 प्रतिशत है, इस प्रकार मध्यप्रदेश देश का ऐसा राज्य है, जहॉ हर पांचवा व्यक्ति अनुसूचित जनजाति वर्ग का है। मध्यप्रदेश में PVTGs वर्ग के जनजातीय भी पाये जाते हैं, जिन पर उनकी संवेदनशीलता के कारण अत्यधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

मध्यप्रदेश में तीन विशेष पिछड़ी जनजाति यथा भारिया, बैगा एवं सहरिया निवासरत है, जो विशेष रूप से मण्डला, बैहर (बालाघाट) डिण्डौरी, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), शहडोल, उमरिया, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर इत्यादि में निवासरत है, जो आज भी समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित न होकर अपने अधिकारों से वंचित हैं।

जनजातियों में साक्षरता की कमी एक मुख्य समस्या है, इसके साथ ही भूमि संबंधी समस्याऐं, स्वास्थ्य समस्याओं सहित अन्य विधिक समस्याऐं जैसे– कानून की अज्ञानता के कारण अनावश्यक मुकदमेबाजी में सम्मिलित होना, झूठे अपराधों में आलिप्त किया जाना, विभागों द्वारा अधिकारों से वंचित किया जाना आदि ऐसी समस्याऐं है, जिनको जनजातीय समुदाय से अर्द्ध–विधिक स्वयं सेवकों (पैरालीगल वालिन्टियर्स) का पैनल तैयार कर तथा लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से समस्याओं के निराकरण हेतु समुचित प्रयास विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए किया जाना है।

म.प्र. में अनुसूचित जनजाति की विशेष स्थिति को देखते हुए जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को प्रभावी किया गया है।

अनुसूचित जनजातियों की विशेष परिस्थिति तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करने को दृष्टिगत रखते हुए कार्ययोजना वर्ष 2024–2025 अनुसूचित जनजातियों के संवर्धन एवं विकास पर विशेष रूप से केन्द्रित की गई है।

उक्त प्रयोजन हेतु अन्य योजनाओं के साथ नालसा (आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवायें) योजना, 2015 के प्रभावी कियान्वयन हेतु "विशेष कार्ययोजना जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों हेतु" जिला विधिक

सेवा प्राधिकरण द्वारा तैयार किया जायेगा, जिसमें अन्य बिंदुओं के साथ–साथ निम्न को भी सम्मिलित किया जाना अपेक्षित हैः–

- जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र का स्थानीय परिस्थिति के अनुकूल सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भ्रमण करते हुए स्थानीय विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर क्लस्टर का गठन किया जायेगा और प्रत्येक क्लस्टर हेतु कम से कम एक लीगल एड क्लीनिक स्थापित किया जायेगा।

  क्लस्टर का गठन सुविधा अनुसार ग्राम पंचायतों/ग्रामों को सम्मिलित करते हुए प्रत्येक ग्राम तक विधिक सेवा की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जायेगा।
- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों का भ्रमण के दौरान जनसामान्य की समस्याओं को चिन्हित करते हुए डाटाबेस तैयार किया जायेगा।
- चिन्हित की गई समस्याओं से संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए समस्याओं के निराकरण हेतु समुचित प्रयास किया जायेगा।

  जनजातीय वर्ग से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदाय किये जाने तथा कानून के अंतर्गत प्रदान किये गये अधिकारों आदि की जानकारी के संबंध में स्थानीय परिस्थिति एवं आवश्यकता के अनुकूल विषयों को सम्मिलित करते हुए नियत कालावधि में समस्या निवारण शिविर, जागरूकता कार्यक्रम संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर आयोजित किया जायेगा।
- नालसा योजना अनुसार पैनल अधिवक्ता तथा पैरालीगल वालिन्टियर्स के रूप में जनजातीय वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया जायेगा।
- जिले के अंतर्गत संचालित विश्वविद्यालय, कॉलेज एवं विद्यालय आदि संस्थाओं के छात्रों की सहभागिता जनजातीय वर्ग के लिए आयोजित कार्यक्रमों में आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जायेगी, जिसमें विधि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के छात्रों की विशेष भूमिका हो सकेगी।
- क्षेत्र विशेष की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, एनजीओ तथा विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सहयोग से कार्यक्रम समुदाय विशेष के लिए आयोजित किया जायेगा।

नोटः–राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा क्लीनिक विनियमन, 2011 के अंतर्गत लीगल एड क्लीनिक एवं पैरालीगल वालिन्टियर्स स्कीम के अंतर्गत पीलव्ही की नियुक्ति, प्रशिक्षण आदि की कार्यवाही की जायेगी।

सामुदायिक मध्यस्थता कार्यक्रम – जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र हेतु

मुख्य मध्यस्थता निगरानी समिति (Main Mediation Monitoring Committee-MMC) की बैठक दिनांक 24 फरवरी, 2022 में पारित संकल्प अनुसार "मध्यप्रदेश सामुदायिक मध्यस्थता कार्यक्रम" मध्यप्रदेश राज्य में प्रारम्भ किया गया। सामुदायिक मध्यस्थता के अन्तर्गत सामाजिक समूहों जैसे– मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन आदि द्वारा प्रायोजित स्वयं सेवकों को मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 20 घण्टे का प्रशिक्षण दिया जाकर समाज में पक्षकारों के मध्य उत्पन्न विवादों के मध्यस्थता तथा निपटान का कार्य किया जाता है, जिसके संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी किया गया है।

विभिन्न समुदायों की भागीदारी के साथ सामुदायिक मध्यस्थता के क्षेत्र में बढ़ते हुये कदमः– वर्तमान में सामुदायिक मध्यस्थता के अंतर्गत म0प्र0 के विभिन्न जिलों के 36 समुदायों जैसे नेमा, गोंड़, जैन, कायस्थ, यादव, पासी, कतिया, क्षत्रिय, मुस्लिम, मीना, बंगाली, ब्राम्हण, बोहरा, बाल्मीकि, कोरी, बैरवा, गुजराती, अग्रवाल, सिख, गहोई, अहिरवार, दसोरा, सेन, क्रिश्चन, जायसवाल, सिन्धु, बलई, माहेश्वरी, माझी, महाराष्ट्रीयन, रविदास, तेली, पंजाबी, वैश्य, जाटव, सिंधी के कुल 344 सामुदायिक मध्यस्थता स्वयंसेवको को म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 20 घंटे का प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिनके द्वारा सामुदायिक मध्यस्थता स्वयंसेवक के रूप में कार्य करते हुए मध्यस्थता की कार्यवाही संपादित की जा रही है ।

जनजाति समुदाय में उत्पन्न विवादों का सामुदायिक मध्यस्थता के माध्यम से समाधानः– जनजातीयों के मध्य उत्पन्न विवादों के समाधान हेतु सामुदायिक मध्यस्थता के माध्यम से भी आवश्यक प्रयास किया जाना वर्तमान समय की आवश्यकता है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए जनजातीय बाहुल्य प्रत्येक जिले में मध्यप्रदेश सामुदायिक मध्यस्थता कार्यक्रम के अन्तर्गत सामुदायिक मध्यस्थता स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करते हुए सामुदायिक मध्यस्थता केन्द्र स्थापित कर समुदाय के लोगों के बीच संघर्ष की शुरूआत में ही जमीनी स्तर पर संघर्ष को सामुदायिक स्वयं सेवकों (Community Mediation Volunteer- CMV) के माध्यम से सुलझाकर समाज में समरसता और शांति स्थापित किया जा सकता है।

जनजातीय बाहुल्य जिलों एवं क्षेत्रों में मध्यप्रदेश सामुदायिक मध्यस्थता कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से संचालित किए जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार गतिविधियां संचालित की जायेगीः–

- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अन्य अधिकारी द्वारा जनजातीय क्षेत्रों का भ्रमण स्थानीय परिस्थितियों के अनूकूल करते हुए स्थानीय लोगों से संपर्क स्थापित कर सामुदायिक मध्यस्थता कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी जायेगी ।
- मध्यप्रदेश सामुदायिक मध्यस्थता कार्यक्रम के अन्तर्गत सामुदायिक मध्यस्थ स्वयं सेवक (CMV) का पैनल तैयार किया जायेगा।
- सामुदायिक मध्यस्थता स्वयं सेवक के पैनल को तैयार करने में यह ध्यान रखा जायेगा कि प्रत्येक क्षेत्र (जिला/तहसील/उपखण्ड/ग्राम पंचायत/ग्राम) से स्वयं सेवक मध्यस्थता हेतु उपलब्ध हों, जिससे उनके द्वारा स्थानीय स्तर पर मध्यस्थता कार्यक्रम के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जनजातीय क्षेत्रों से सामुदायिक मध्यस्थ स्वयं सेवक के पैनल की तैयारी 31 मई, 2024 तक पूर्ण करते हुए सूची राज्य प्राधिकरण को प्रेषित की जायेगी।
- राज्य प्राधिकरण द्वारा मध्यस्थ स्वयं सेवक के पैनल की सूची प्राप्त होने के उपरान्त स्वयं सेवकों को 20 घण्टे का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। प्रशिक्षण स्वयं सेवकों को सामुदायिक अवधारणा, स्वयं सेवकों के रूप में कार्य करने के लिए मूल अवधारणा, सिद्धान्तों और मध्यस्थता के अभ्यास आदि पर केन्द्रित होगा।

नोटः–सामुदायिक मध्यस्थता संबंधी सम्पूर्ण गतिविधियां "मध्यप्रदेश सामुदायिक मध्यस्थता कार्यक्रम" के दिशा–निर्देश अनुसार संचालित की जायेगी।

कार्ययोजना अनुसार संचालित अन्य गतिविधियां

विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, विधिक साक्षरता प्रसारित करना, लोक–अदालत का आयोजन करना, उत्पन्न विवादों को वैकल्पिक समाधान माध्यमों से निपटारे का प्रोत्साहन देना, अपराध पीड़ित व्यक्तियों को प्रतिकर राशि दिलाया जाना आदि है।

उक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए कार्ययोजना **वर्ष 2024–25** के अंतर्गत निम्नानुसार गतिविधियॉ का आयोजन अन्य संचालित योजनाओं के साथ किया जाना प्रस्तावित है और समय–समय पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण आदि द्वारा जारी किए जाने वाले योजनाओं एवं निर्देशों को भी सम्मिलित किया जा सकेगाः–

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा प्रतिमाह चलायें जाने वाले अभियानों का विवरण

क्र.	माह व वर्ष	गतिविधियों का विवरण	तिथि
1	अप्रैल, 2024	**1. अप्रैल कूल दिवस- 01 अप्रैल** पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से न्यायिक अधिकारियों एवं अन्य द्वारा एक दिवसीय वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा । अप्रैल कूल दिवस पर न केवल पौधा रोपित किया जायेगा, बल्कि इसे संरक्षित करने हेतु भी आवश्यक प्रयास प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने स्तर से किया जायेगा। **2. विश्व स्वास्थ्य दिवस– 07 अप्रैल** स्वस्थ जीवनशैली एवं योग पर विशेष ध्यान देते हुए जागरूकता शिविर का आयोजन।	01 अप्रैल 07 अप्रैल

		3. **विशेष नशा मुक्ति अभियान (22 से 26 अप्रैल)** **नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवायें एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवायें) योजना, 2015** के अंतर्गत कार्ययोजना तैयार कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। उक्त कार्ययोजना विशेष रूप से नवयुवकों, किशोरों, बालकों एवं छात्रों में ड्रग तस्करी एवं दुरूपयोग की असाधारण वृद्धि की रोकथाम पर केन्द्रित होकर संबंधित विभागों तथा गैर सरकारी संगठनों से समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा । 4. दिनांक 11.05.2024, को आयोजित नेशनल लोक अदालत हेतु अन्य कार्यक्रम के साथ–साथ विशेष अभियान चलाकर जन–जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। (नेशनल लोक अदालत आयोजन तक निरन्तर) 5. **स्थाई लोक अदालत (लोकोपयोगी लोक अदालत)** लोकोपयोगी लोक अदालत के अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाये, जिससे अधिक से अधिक प्रकरण लोक अदालत में रखे जाये। साथ ही जिले में निराकृत प्रकरणों की सफलता की कहानी का भी प्रचार–प्रसार किया जाये **(स्थानीय सुविधा एवं आवश्यकतानुसार तिथि नियत कर)**	22 से 26 अप्रैल
2	मई, 2024	➤ **अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस– 01 मई** गैर संगठित क्षेत्र के मजदूरों के सशक्तिकरण एवं कानूनी अधिकारों से संबंधित जागरूकता शिविर का आयोजन। ➤ **श्रमिक विधिक सेवा अभियान (1 से 4 मई)** मानव तस्करी, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, श्रमिकों के अधिकार एवं शासन की योजनाओं का लाभ दिलाये जाने हेतु श्रमिकों के लिए विशेष विधिक सेवा अभियान आयोजित किया जायेगा । कार्यक्रम **नालसा (अंसगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवायें) योजना, 2015** के आलोक में आयोजित किये जा सकेगें।	01 मई 01 से 04 मई

		➢ **तंबाकू निषेध दिवस – 31 मई** तंबाकु सेवन के दुष्प्रभावों को दर्शाते हुए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा । ➢ आगामी आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार–प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए शिविर आयोजित करना तथा उक्त शिविर में दिनांक 11.05.2024 एवं लोकोपयोगी सेवाओं से संबंधित लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों में से चिन्हित प्रकरणों (कम से कम 05) की सफलता की कहानी, पक्षकारों को आमंत्रित कर उनका अभिवादन करते हुए जनसामान्य के समक्ष इस उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाना कि लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरण निराकृत करने हेतु लोग आकृष्ट हो सकें।	31 मई
3	जून, 2024	➢ **पर्यावरण संवर्धन एवं सरंक्षण अभियान (01 से 05 जून)** **विश्व पर्यावरण दिवस– 05 जून** **पंच–ज अभियान** के अंतर्गत विशेष वृक्षारोपण, स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण व जागरूकता अभियान । ➢ **विश्व बाल श्रम निषेध दिवस – 12 जून** बच्चों के **शैक्षिक, स्वास्थ्य एवं अन्य कानूनी आधिकारों** से संबंधित शिविर का आयोजन (**बाल श्रम** से संबंधित मुद्दों एवं कानून पर विशेष ध्यान देते हुए) ➢ **अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस– 21 जून** **योग दिवस, वर्ष 2024** के विषय अनुसार योग शिविर का आयोजन किया जाना । ➢ **स्थाई लोक अदालत (जनोपयोगी लोक अदालत)** जनोपयोगी लोक अदालत का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाये, जिससे अधिक से अधिक प्रकरण लोक अदालत में रखे जाये। साथ ही जिले में निराकृत प्रकरणों	01 से 05 जून 12 जून 21 जून

		की सफलता की कहानी का भी प्रचार–प्रसार किया जाये । **(स्थानीय सुविधा एवं आवश्यकतानुसार तिथि नियत कर)**	
4	जुलाई, 2024	➢ **बाल संवर्धन एवं सरंक्षण अभियान (02 से 06 जुलाई)** प्रत्येक बच्चों के लिए विधिक सेवा सहित सभी विकल्प उपलब्ध कराने, उनके व्यक्तित्व का समग्र विकास, उनकी शारीरिक, मानसिक, नैतिक व आध्यात्मिक क्षमता के विकास हेतु **नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवायें एवं उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवायें) योजना, 2015** के आलोक में बच्चों के लिए विशेष अभियान का आयोजन। ➢ **विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस– 17 जुलाई** उक्त अवसर पर स्थानीय सुविधा अनुसार तिथि नियत कर **मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य** के संबंध में विद्यालय/ महाविद्यालयों में जागरूकता शिविर का आयोजन करना । ➢ दिनांक 14.09.2024 को आयोजित नेशनल लोक अदालत हेतु विशेष अभियान चलाकर जन–जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। (नेशनल लोक अदालत आयोजन तक निरन्तर)	02 से 06 जुलाई
5	अगस्त, 2024	➢ **जनजाति संवर्धन अभियान (05 से 09 अगस्त)– 09 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस** **नालसा (आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवायें) योजना, 2015** के आलोक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों के कानूनी अधिकार एवं उनसे संबंधित प्रशासन की कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जागरूकता शिविर का आयोजन ।	05 से 09 अगस्त

		➢ **नालसा (एसिड हमले के पीडितों के लिए विधिक सेवा) योजना, 2016 तथा पीड़ित प्रतिकर योजना** के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु कार्यक्रम आयोजित किया जाना । **(स्थानीय सुविधा अनुसार तिथि नियत कर)** ➢ **वरिष्ठ नागरिक दिवस** (21 अगस्त) वरिष्ठ नागरिकों पर केन्द्रित विशेष शिविर जिसमें वृद्धाश्रम में निवासरत नागरिक एवं अन्य संस्थाओं के वृद्धजन को आमंत्रित कर चिकित्सीय परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराते हुए कार्यक्रम आयोजित करना ।	 21 अगस्त
6	सितम्बर, 2024	➢ विशेष **"पहचान अभियान" (01 से 05 सितम्बर)** के अंतर्गत ट्रांसजेंडर समुदाय की समाज में स्वीकार्यता बढ़ाने तथा विधिक अधिकारों एवं शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान। ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों हेतु शासन की योजनाओं के लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक ट्रांसजेंडर कार्ड, पहचान पत्र जैसे– वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि जारी किए जाने हेतु संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही करना। ➢ **अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस– 08 सितम्बर** इस अवसर पर छात्र/ छात्राओं के लिए विद्यालय/ महाविद्यालयों में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाना । ➢ **हिन्दी दिवस – 14 सितम्बर** शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित कर विधिक जागरूकता, चित्रकला, हिन्दी निबंध प्रतियोगिता (भारतीय महापुरूषों पर केन्द्रित), वाद–विवाद प्रतियोगिता, छात्र/छात्राओं के माध्यम से व्याख्यान आदि आयोजित किया जाना । विद्यालय/महाविद्यालयों में भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रावधानित मूल कर्तव्य के पालन हेतु जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।	01 से 05 सितंबर 08 सितम्बर 14 सितम्बर

		➢ **स्थाई लोक अदालत (जनोपयोगी लोक अदालत)** जनोपयोगी लोक अदालत के अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाये, जिससे अधिक से अधिक प्रकरण लोक अदालत में रखे जाये। साथ ही जिले में निराकृत प्रकरणों की सफलता की कहानी का भी प्रचार–प्रसार किया जाये । **(स्थानीय सुविधा अनुसार तिथि नियत कर)** ➢ आगामी आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार–प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए शिविर आयोजित करना तथा उक्त शिविर में दिनांक 14.09.2024 एवं लोकोपयोगी सेवाओं से संबंधित लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों में से चिन्हित प्रकरणों (कम से कम 05) की सफलता की कहानी, पक्षकारों को आमंत्रित कर उनका अभिवादन करते हुए जनसामान्य के समक्ष इस उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाना कि लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरण निराकृत करने हेतु लोग आकृष्ट हो सकें।	
7	अक्टूबर , 2024	➢ **अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस– 02 अक्टूबर** अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर मामलों के निराकरण हेतु पक्षकारों को जागरूक किया जाकर गांधीजी के आदर्शों एवं अवधारणाओं का अनुसरण किया जाना । ➢ मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य के संबंध में विद्यालय/महाविद्यालयों में जागरूकता शिविर का आयोजन कर छात्र/छात्राओं को जागरूक किया जाना । **(स्थानीय सुविधा अनुसार तिथि नियत कर)** ➢ दिनांक 14.12.2024 को आयोजित नेशनल लोक अदालत हेतु विशेष अभियान चलाकर जन–जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। (नेशनल लोक अदालत आयोजन तक निरन्तर)	02 अक्टूबर

8	नवंबर, 2024	➢ **विधिक सेवा अभियान (09 से 15 नवम्बर)– 09 नवम्बर, विधिक सेवा दिवस, 11 नवम्बर, विश्व शिक्षा दिवस एवं 14 नवम्बर, बाल दिवस** बच्चों के लिए उनके अधिकारों, शिक्षा, बाल–विवाह निरोध एवं जागरूकता अभियान तथा स्कूल कॉलेजों में बच्चों तथा विशेष बच्चों के लिए चित्रकला, निबंध, रंगोली, स्लोगन लेखन, खेलकूद, रैली व अन्य गतिविधियों का आयोजन । ➢ **संविधान दिवस– 26 नवम्बर** इस अवसर पर जिला प्राधिकरण द्वारा संविधान की प्रस्तावना का सामुहिक वाचन किया जाकर संविधान दिवस पर संगोष्ठी एवं शिविर का आयोजन किया जाये।	09 से 15 नवंबर 26 नवम्बर
9	दिसंबर, 2024	➢ **एड्स रोकथाम हेतु जागरूकता कार्यक्रम (01 दिसम्बर) – विश्व एड्स दिवस** **नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक योन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवायें) योजना, 2015** के अंतर्गत एड्स पीड़ितों की स्वीकार्यता बढ़ाने, एड्स रोग की रोकथाम, विशेष रूप से समर्थ बच्चों तथा व्यस्कों के अधिकारों के संरक्षण तथा शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु विशेष जागरूकता अभियान ➢ **दिव्यांगजन हेतु विधिक सेवा अभियान (03 से 07 दिसम्बर)– 03 दिसम्बर, दिव्यांगजन दिवस** **नालसा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवायें) योजना, 2015** के अंतर्गत निःशक्तजन को चिन्हित करते हुए उनके कल्याण हेतु संचालित योजनाओं का लाभ प्रदान करने हेतु संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम आयोजित करना।	01 दिसम्बर 03 से 07 दिसंबर

		➢ **मानव अधिकार दिवस– 10 दिसम्बर** इस अवसर पर मूल अधिकार विषय पर संगोष्ठी एवं शिविर का आयोजन किया जावे। ➢ **राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस– 24 दिसम्बर** इस अवसर पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में विषय विशेषज्ञ को आमंत्रित कर एवं संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर आमजन को जागरूक करना और अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में जानकारी देते हुए कार्यक्रम आयोजित किया जावे। ➢ **स्थाई लोक अदालत (जनोपयोगी लोक अदालत)** जनोपयोगी लोक अदालत के अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाये, जिससे अधिक से अधिक प्रकरण लोक अदालत में रखे जाये। साथ ही जिले में निराकृत प्रकरणों की सफलता की कहानी का भी प्रचार–प्रसार किया जाये । **(स्थानीय सुविधा एवं आवश्यकतानुसार तिथि नियत कर)** ➢आगामी आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार–प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए शिविर आयोजित करना तथा उक्त शिविर में दिनांक 14.12.2024 एवं लोकोपयोगी सेवाओं से संबंधित लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों में से चिन्हित प्रकरणों (कम से कम 05) की सफलता की कहानी, पक्षकारों को आमंत्रित कर उनका अभिवादन करते हुए जनसामान्य के समक्ष इस उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाना कि लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरण निराकृत करने हेतु लोग आकृष्ट हो सकें।	10 दिसम्बर 24 दिसम्बर

10	जनवरी, 2025	➢ **राष्ट्रीय युवा दिवस– 12 जनवरी** युवाओं में राष्ट्रीयता की भावनाओं को प्रेरित करने और समाज एवं देश के विकास में महती भूमिका निभाने हेतु जागरूक करने के उद्देश्य से शिविर आयोजित किया जावे। ➢ **मूल कर्तव्य जागरूकता अभियान (24 से 28 जनवरी) राष्ट्रीय बालिका दिवस– 24 जनवरी एवं गणतंत्र दिवस– 26 जनवरी** मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य के संबंध में विद्यालय/महाविद्यालयों में जागरूकता शिविर का आयोजन कर छात्र/छात्राओं को जागरूक किया जाना । साथ ही मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य विषय पर निबंध प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाये । राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर छात्राओं के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम लैंगिक अपराध एवं शोषण आदि के संबंध में आयोजित किया जावे ।	12 जनवरी 24 से 28 जनवरी
11	फरवरी, 2025	➢ **विश्व सामाजिक न्याय दिवस– 20 फरवरी** **नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवायें) योजना, 2015** के अंतर्गत कार्ययोजना तैयार कर कार्यक्रम आयोजित किया जाना। ➢ **नालसा (एसिड हमले के पीडितों के लिए विधिक सेवा) योजना, 2016 तथा पीड़ित प्रतिकर योजना** के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु कार्यक्रम आयोजित किया जाना **(स्थानीय सुविधा अनुसार तिथि नियत कर)** ।	20 फरवरी
12	मार्च, 2025	➢ **महिला सशक्तिकरण अभियान (08 मार्च से 12 मार्च)** महिलाओं के अधिकारों, एसिड अटैक, महिला अपराध, घरेलू हिंसा, शिक्षा आदि पर जागरूकता एवं विधिक सहायता हेतु विशेष अभियान ।	08 से 12 मार्च

		➢ **विश्व जल दिवस– 22 मार्च** विश्व जल दिवस के अवसर पर जल के सरंक्षण एवं उसकी महत्ता पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जावे, जिसके माध्यम से जन सामान्य को प्रेरित किया जा सकेगा कि जीव के अस्तित्व को बनाये रखने के लिए जल के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु स्वयं सेवा करने हेतु तत्पर रहें। ➢ **स्थाई लोक अदालत (जनोपयोगी लोक अदालत)** जनोपयोगी लोक अदालत के अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाये, जिससे अधिक से अधिक प्रकरण लोक अदालत में रखे जाये। साथ ही जिले में निराकृत प्रकरणों की सफलता की कहानी का भी प्रचार–प्रसार किया जाये । **(अपनी सुविधा अनुसार लोकोपयोगी लोक अदालत विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाये)**	22 मार्च

नोटः– आयोजित कार्यक्रम से संबंधित म0प्र0 शासन के विभागों तथा इस क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर शासकीय संगठनों के सहयोग एवं समन्वय से कार्यक्रम आयोजित किया जा सकेगा। अमृत महोत्सव के दौरान गठित आउॅटरीच टीमों की सेवायें भी ली जा सकती है। आवश्यकतानुसार लीगल एड डिफेंस काउंसिल, पैनल लायर्स एवं पैरालीगल वालेंटियर्स आदि की सेवायें ली जा सकती है।

वर्ष 2024–25 हेतु नालसा एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं का लक्ष्य

म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं तहसील विधिक सेवा समितियों हेतु वित्त वर्ष **2024–25** के लिए निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किया गया है :–

1) विधिक सहायता एवं विधिक सलाह योजना:– विधिक सहायता एवं सलाह योजनान्तर्गत जिला एवं तहसील स्तर पर लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किया गया है :–

क्र	योजना का नाम	जिला स्तर		तहसील स्तर
		मासिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य
		संभाग मुख्यालय हेतु (लाभार्थियों की संख्या)	अन्य जिलों हेतु (लाभार्थियों की संख्या)	
1.	विधिक सहायता योजना	75	40	25
2	विधिक सलाह योजना	125	75	50

2) लोक अदालत:–जिला एवं तहसील स्तर पर लोक अदालतें निम्नानुसार आयोजित की जायेगी:–

क्र.	लोक अदालत का प्रकार	जिला स्तर पर मासिक लक्ष्य	तहसील स्तर पर मासिक लक्ष्य	
01.	स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत	एक जिले–1	एक तहसील– 1	प्रत्येक माह अंतिम शनिवार
02.	लोकोपयोगी सेवाओं के लिए स्थाई लोक अदालत (धारा 22 बी)	एक जिले हेतु 4 बैठक	–	साप्ताहिक
03.	मनरेगा के अंतर्गत लोक अदालत	–	एक तहसील– 1	मासिक
04.	जेल लोक अदालत	एक जिले हेतु 1 बैठक	–	मासिक
05.	मोबाइल लोक अदालत	जिला प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित तिथियों के अनुसार।		
06.	नेशनल लोक अदालत	नालसा के निर्देशानुसार		

3) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावित लक्ष्यः–

क्र.	योजना का नाम	लक्ष्य
1	विवाद विहीन ग्राम योजना	योजना के अंतर्गत कम से कम **दो ग्रामों** को विवाद विहीन बनाने का प्रयास योजना अनुसार किया जायेगा।
2	जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना	प्रत्येक माह **जिला स्तर पर 05 एवं तहसील स्तर पर कम से कम 2** मामले को परामर्श से निराकृत किया जावेगा।
3	पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना	माह अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के लिये समस्त जिला प्राधिकरण द्वारा **05** एवं प्रति **तहसील द्वारा 3 व्यक्तियों को लाभांवित किये जाने का वार्षिक लक्ष्य** निर्धारित किया जाता है।

4	मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना	माह अप्रैल 2024 से मार्च 2025 में इस योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कर निरूद्ध बंदियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने का प्रयास किया जावें।
5	लीगल एड क्लीनिक	शासकीय कार्यालयों जहां पर जनसामान्य की अधिक आवागमन रहता है, बाल गृह, स्वाधार गृह, वृद्धाश्रम, स्कूल, कॉलेजों, मानसिक रूग्णालय, ग्राम पंचायतों, जेलों और सामुदायिक केंद्रों में विधिक सहायता क्लीनिक स्थापित करने का प्रयास किया जावेगा।
6	श्रमिकों के विरूद्ध अपराध प्रकोष्ठ	राज्य के प्रत्येक जिले में प्रधान जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में 'श्रमिकों के विरूद्ध अपराध–प्रकोष्ठ' का गठन किया गया है। **अतः** इसे पुनः सक्रिय कर मासिक रूप से संचालित गतिविधियों की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक संख्या में श्रमिकों को लाभांवित किया जाये।
7	महिला एवं बाल संरक्षण इकाई	यह इकाई महिला एवं बच्चों में उनके विधिक अधिकारों, कर्तव्यों के संबंध में उन्हें जागरूक कर उनकी समस्याओं का निदान करती है। अतः इसे पुनः सक्रिय कर मासिक रूप से संचालित गतिविधियों की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं एवं बच्चों को लाभांवित किया जावे।
8	मीडिएशन जागरूकता कार्यक्रम	मीडिएशन हेतु पृथक से प्रेषित कार्ययोजना अनुसार प्रतिमाह जिला/कुटुंब न्यायालय/तहसील स्तर पर एक मीडिएशन जागरूकता कार्यक्रम किया जावे।
9	विधिक साक्षरता शिविर योजना	इस योजना के अंतर्गत **जिला स्तर पर 06 मासिक शिविर का लक्ष्य एवं तहसील स्तर पर 04 मासिक शिविर का लक्ष्य** निर्धारित किया गया है। अतः लक्ष्यानुसार विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया

		जावे। नोटः– उपरोक्त साक्षरता शिविरों में कम से कम नालसा की विभिन्न योजनाओं को केंद्रित करते हुए आयोजित किया जावे।
10	व्यापक प्रचार–प्रसार	विधिक सेवा गतिविधियों, नालसा एवं सालसा की योजनाओं विशेष अभियानों तथा सफलता की कहॉनियों का प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, रेडियों, टी.वी, केबल, सोशल मीडिया, फ्लेक्स बैनर, पेंपलेट्स, ब्रोशर्स, नुक्कड़ नाटक, रैली आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये।
11	दिव्यांगजनों के हितार्थ कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण एवं अन्य सहायक उपकरण प्रदान करने हेतु विशेष शिविरों का आयोजन	इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में (संभागीय स्तर) दिव्यांगजनों के हितार्थ कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण एवं अन्य सहायक उपकरण प्रदान करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विशेष शिविरों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। अतः उक्त शिविरों के आयोजन हेतु संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सर्वप्रथम ऐसे दिव्यांगजनों को चिन्हित करने का कार्य किया जायेगा। जिनको कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण एवं अन्य सहायक उपकरणों की सुविधा प्रदान करने हेतु शामिल किया जा सकता है तत्पश्चात संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विशेष शिविर आयोजन हेतु कार्यक्रम की रूपरेखा तथा आयोजन तिथि प्रस्तावित कर अनुमोदन हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर को प्रेषितं किया जाएगा। रूपरेखा के अनुमोदन पश्चात् राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के संयुक्त तत्वाधान में दिव्यांगजनों के हितार्थ कृत्रिम अंग

		प्रत्यारोपण एवं सहायक उपकरण प्रदान करने हेतु विशेष शिविरों का आयोजन किया जावेगा। अन्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उपरोक्त अनुसार दिव्यांगजनों के हितार्थ कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण एवं सहायक उपकरण प्रदान करने हेतु कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिसकी सूचना राज्य प्राधिकरण को प्रेषित की जायेगी।

4) **नालसा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 का प्रभावी क्रियान्वयनः–** मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम, 2017 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख और उपचार तक पहुंचने का अधिकार प्रदान किया गया है, ऐसा अधिकार लिंग, धर्म, जाति, निःशक्तता या किसी अन्य आधार पर विभेद के बिना प्राप्त है, जिसके अंतर्गत मानसिक रूग्णता से ग्रस्त बंदी, जो किसी अपराध का विचाराधीन है, या सिद्धदोष ठहराया गया है और जेल या कारागार में निरूद्ध है, भी सम्मिलित है।

प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उक्त योजना, 2015 एवं अधिनियम, 2017 के आलोक में मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित व्यक्तियों के लिए विशेष जागरूकता अभियान अपने क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत संचालित करेगा और प्रत्येक 03 माह के अंतराल पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित करेगा, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों सहित अन्य विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं हेतु उपस्थित रहेंगे।

जेल में निरूद्ध बंदियों के लिए नियमित अंतराल पर मानसिक चिकित्सकों के माध्यम से बंदियों का परीक्षण करते हुए आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जायेगी, जिसके संबंध में संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा योजना तैयार कर आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी। किसी बंदी के गंभीर रूप से मानसिक रूप से अस्वस्थ्य होने की स्थिति में तत्काल

चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराते हुए राज्य प्राधिकरण को भी सूचित किया जायेगा।

नोटः–

1. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा समितियों के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित कर, **योजनाओं का मासिक प्रगति पत्रक** पूर्व निर्धारित निर्देशों अनुसार प्रेषित की जावे।
2. कार्यालय के योजनाओं एवं समस्त **कार्यालयीन व्ययों के देयकों का भुगतान नियमित रूप से प्रत्येक माह** किया जावे तथा म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर को प्रेषित किये जाने वाले देयकों को भी नियमानुसार नियत समयावधि में सत्यापित कर इस कार्यालय को प्रेषित किया जावे।
3. संचालित गतिविधियों के संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीड़िया पर प्रोफाइल क्रिएट कर प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी। प्रचार प्रसार हेतु रेड़ियो, Short film creation, एवं समान प्रकार के अन्य माध्यम का उपयोग भी उचित तरीके से किया जा सकेगा।
4. उक्त शिविरों में नालसा की 01 या अधिक योजनाओं को सम्मिलित करते हुये नालसा की सभी योजनाओं के अंतर्गत कम से कम एक शिविर अवश्य आयोजित किया जावें।
5. जिला मुख्यालय स्तर पर आयोजित शिविर व्यापक प्रचार–प्रसार के बाद आयोजित किये जावेंगे जिसमें स्थानीय मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया जायेगा। इस हेतु संबंधित जिला एवं तहसील के पैनल अधिवक्ता एवं एन.जी.ओ., पैरालीगल वालेंटियर्स का सहयोग लिया जायेगा।

<u>कार्ययोजना के कियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश:–</u>

1. कार्ययोजना के कियान्वयन हेतु प्रत्येक माह की कार्ययोजना में वर्णित गतिविधियों के लिए समयपूर्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अग्रिम कार्ययोजना बनाई जायेगी और कार्ययोजना अनुसार सभी संबंधित विभागों आदि को सूचित करते हुए कार्यक्रम आयोजित किया जावेगा।

2. सभी संबंधित सरकारी विभागों, स्वयं सेवी संगठनों, अन्य संबंधितों से समन्वय रखा जावे, उनके साथ विचार विमर्श किया जावे, आपसी सहमति से व्यवहारिक परिणाम सुनिश्चित करते हुए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कार्ययोजना के अनुरूप गतिविधियों में उनका पूर्ण सहयोग लिया जा सकेगा।

3. कार्ययोजना में वर्णित कार्यक्रम जिसके लिए तिथि निर्धारित नहीं की गई है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कार्ययोजना में वर्णित गतिविधियों के लिए कार्यक्रम की तिथि आदि नियत कर कार्यवाही कर सकेगा।

4. कार्ययोजना में पूर्व से निर्धारित तिथि में परिवर्तन स्थानीय परिस्थिति के अनुकूल करने की आवश्यकता होने की स्थिति में **माननीय अध्यक्ष/ प्रधान जिला न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समग्र परिस्थितियों पर विचार करते हुए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर को सूचित करते हुए नवीन तिथि नियत की जा सकेगी और कार्यक्रम उपरान्त** गतिविधियों की जानकारी पूर्व निर्देश अनुसार प्रेषित की जा सकेगी।

5. कार्य योजना 2024–25 अनुसार आयोजित होने वाले कार्यक्रम की जानकारी **प्रत्येक माह की 01 तारीख तक संक्षिप्त विवरण सहित जिसमें सफलता की कहानी** आदि सम्मिलित की जा सकती हैं, फोटोग्राफ्स, समाचार–पत्र कटिंग आदि म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को आवश्यक रूप से प्रेषित की जायेगी।

---000---